भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.794
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना

†794. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को संस्वीकृत कुल ऋणों में से संवितरित ऋणों का प्रतिशत**,** संस्वीकृत ऋणों की तुलना में कितना है और उनके संवितरण का औसत टर्नअराउंड समय कितना है**;**

(ख) वित्त वर्ष **2024-25** के दौरान आन्ध्र प्रदेश में व्याज-अनुदान और कैशबैक सहायता के कितने दावों का निपटान किया गया है**;** और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में ऋणदाता संस्थाओं द्वारा सूचित की गई किसी राज्य विशिष्ट अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) 19 नवंबर, 2025 तक, आंध्र प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ-विक्रेताओं को स्वीकृत किए गए कुल ऋणों में से 94.17% ऋण संवितरित कर दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति और ऋण संवितरण के लिए औसतन समय क्रमशः 20 दिन और 14 दिन है।

(ख) इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में 3.12 करोड़ रु. ब्याज सब्सिडी दावा और 6.11 करोड़ रु. के कैशबैक दावा किया गया था।

(ग) पीएम स्वनिधि योजना के तहत आंध्र प्रदेश में ऋण दाता संस्थाओं द्वारा कोई विशेष बाधा उसे संबंध सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों और ऋणदाता संस्थाओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं तथा उनमें उठाए गए मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाता है।

****